न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 249/2014

वादी :-

1. बेबी पुत्री बालुराम पत्नि
भंवरलाल जाति-माली
निवासी-टूंकड़ा, हाल-सिरीयारी
तह0-सोजतसिटी, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. गणेश पुत्र बालु
2. शंकर पुत्र बालु
3. नर्बदादेवी पुत्री बालु
4. छोगा पुत्र सांवत
5. रामलाल पुत्र मांगू
6. ढगलाराम पुत्र मांगू
7. अमराराम पुत्र मांगू
8. बिदामी पत्नि धन्ना
9. हापु पुत्र भूरा
10. भंवरू पुत्र गोपू
11. गुमान पुत्र गोपू
12. कालु पुत्र ओगड़
13. रणजीत पुत्र ओगड़
14. नोजी पुत्री ओगड़
15. पूजा पुत्री ओगड़
16. बालकी पत्नि ओगड़
17. भेरा पुत्र जसा
18. सुगना पुत्र जसा
19. जेठा पुत्र जसा
20. बाबु पुत्र शिवला
21. भंवरू पुत्र शिवला
22. मुकेश पुत्र शिवला
23. पुखराज पुत्र शिवला
24. बहादुर पुत्र शिवला
25. कुक्षुम्बी बेवा शिवला
26. संतोष पुत्री शिवला
27. नैना पुत्र हजारी
28. रतना पुत्र हजारी
29. शंकर पुत्र हजारी
30. प्रभु पुत्र पन्ना
31. भेरा पुत्र भबूत
32. चन्द्रीया पुत्र भबूत
33. पीरू पुत्र भबूत
34. हेतूराम पुत्र भेराराम
35. गुलाबराम पुत्र भेराराम
36. धर्माराम पुत्र भेराराम
37. रामलाल पुत्र भेराराम
38. फेफली पत्नि भेराराम
39. लाबु पुत्र भारमल

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

40. काना पुत्र भारमल

41. हरदेव पुत्र उदा

42. हेमा पुत्र उदा

43. बिदामी पत्नि आदू

44. शम्भूराम पुत्र आदू

45. गुमानराम पुत्र आदू

46. सांवरराम पुत्र आदू

47. लिछमण पुत्र छीतर

48. छैला पुत्र छीतर

49. कालू पुत्र छीतर

50. भोली पत्नि छीतर

51. जीवण पुत्र लादू

52. नरसिंह पुत्र लादू

53. हरीराम पुत्र गोपू

54. ओमप्रकाश पुत्र गोपू

55. गोदूराम पुत्र गोपू

56. कालूराम पुत्र गोपू

57. कंवरलाल पुत्र भंवरलाल

58. किशनलाल पुत्र भंवरलाल

59. शारदा पुत्री भंवरलाल

60. दुर्गा पुत्री भंवरलाल

61. राधा पत्नि भंवरलाल

62. संतोष पत्नि मिश्रीलाल

63. रेखा पुत्री मिश्रीलाल

64. तुलसीराम पुत्र छगना

65. हुक्मीचन्द पुत्र छगना

66. बालुराम पुत्र छगना

67. अमरा पुत्र धन्ना

68. चेना पुत्र मंगला

69. कालु पुत्र मंगला

70. भंवरू पुत्र चन्द्रीया

71. मोहन पुत्र चन्द्रीया

72. सांवतराम पुत्र तेजाराम

73. रूपली बेवा चन्द्रीया
जातियान-माली,निवासी-टूंकड़ा
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

74. तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार

75. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः.15/12/2014

उपस्थितः. 1. श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, वादी।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 19/06/2015**

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण में वादीया की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 29–13 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 335 रकबा 0–09 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 336 रकबा 1–16 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 337 रकबा 0–03 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 338 रकबा 2–17 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 341 रकबा 4–01 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 342 रकबा 14–12 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 344 रकबा 10–15 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 345 रकबा 5–04 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 347 रकबा 11–0.8 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता–11 कुल रकबा 80–19 बीघा की आई हुई हैं। वादीया का 1/3 हिस्से में 1/11 हिस्सा व खसरा नम्बर 426 रकबा 5–16 बीघा, खसरा नम्बर 427 रकबा 3–09 बीघा कुल किता–2 कुल रकबा 9–05 बीघा के 1/2 हिस्से में 1/4 हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज हैं। वादीया के पिता बालुराम ने अपने जीवनकाल में दो शादीये की थी। बालुराम पुत्र सांवताराम की पहली पत्नि मूलीदेवी थी। मूलीदेवी व बालुराम के सहवास से दो पुत्र गणेशीलाल व शंकरलाल तथा पुत्री नर्बदादेवी उत्पन्न हुई। मूलीदेवी के फौत होने के बाद वादीया के पिता ने अमरीदेवी से द्वितीय विवाह किया। अमरीदेवी व वादीया के पिता के सहवास से वादीया उत्पन्न हुई, जो बालूराम पुत्र सांवताराम की जायन्दा पुत्री होकर उत्तराधिकारी एवं वारिस होने से बालुराम की तमाम चल व अचल सम्पति में वादीया का भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बराबर हक हिस्सा व अधिकार निहित हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मिलीभगत कर वादीया के पिता फौत होने के बाद गलत तथ्य राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने बालुराम पुत्र सांवताराम की कृषि भूमि में अपना स्वयं का नाम फौतेदगी म्यूटेशन के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिया। जबकि वादीया भी बालुराम की जायन्दा पुत्री होने से बालुराम की कृषि भूमि के फौतेदगी म्यूटेशन में वादीया का नाम भी राजस्व अधिकारियों को दर्ज किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया। इसलिए दिनांक 13/10/14 को पटवार हल्का–टूंकड़ा द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 1189 को रद्ध घोषित फरमाकर वादीया को भी बालुराम की चल व अचल सम्पति में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने बाबत् यह वाद पत्र घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता एक होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मिलीभगत कर अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिया। जबकि वादीया भी बालुराम की संतान हैं। इस कारण से वादीया का भी नाम राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। वादीया द्वारा दिनांक 11/12/14 को सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का–टूंकड़ा से प्राप्त की तो वादीया को जानकारी हुई कि उसका नाम प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत व फर्जी दस्तावेजात पेश कर अपने स्वयं के नाम बालुराम की सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा ली हैं। तब वादीया ने दिनांक 12/12/14 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

को गलत म्यूटेशन बाबत् कहा एवं निवेदन किया कि बालुराम की मैं जायन्दा पुत्री हूँ। इसलिए मेरा भी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करावें। तब प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हरगिज हम तुम्हारा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करवायेगें एवं उक्त वर्णित कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण रहन आदि कर देंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने इन नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो वादीया अपनी पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि से हमेशा-हमेशा के लिए महरूम हो जायेगी एवं वादीया को असीम हानि होगी, जिसकी पूर्ति मुद्रा में नहीं आंकी जा सकेगी तथा विविध प्रकार की मुकदमें बाजी होगी। प्रतिवादी संख्या 74 व 75 राजस्थान सरकार के कर्मचारी एवं अधिकारी हैं, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80(2) सीपीसी का दो महा का नोटिस देकर ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता हैं। परन्तु उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से एवं नोटिस देने में उसकी समायावधि की समाप्ति तक वादीया का वाद करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वाद प्रस्तुत करने बाबत् अनुमति प्रार्थना पत्र धार 80(2) सीपीसी का अलग से वाद पत्र के साथ पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 11/12/2014 को राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ लेने पर एवं दिनांक 12/12/2014 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से ईन्कार करने एवं उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम-टूंकड़ा तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में होने से यह वाद अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं। इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 से 25, 28 से 30, 38, 39, 41 ये 46, 67, 68, 71 से 73, 74 व 75 तथा प्रतिवादीगण संख्या1, 2, 3, 4, 26, 27, 31 से 37, 40, 47 से 54, 55 से 65, 66, 69 से 70 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनपुस्थित रहने से इनके विरूद्ध क्रमशः दिनांक 16/04/15 एवं 19/06/2015 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 बेबी का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया, जिसका मुख्य परीक्षण पर दस्तावेजात प्रदर्श Exp 1 से 3 प्रदर्शित करवाये गये, सा0मि0 हैं। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से बन्द की गई। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-टूंकड़ा पर पेश हुई। सहायक ऑफिस कानूनगों, तहसील कार्यालय, जैतारण के अभिलेख राजस्व रिकॉर्डानुसार वक्त सैटलमेन्ट (मिसल बन्दोबस्त) की रिपोर्टानुसार बालू पुत्र सांवता सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं, जो बालू पुत्र सांवता माली की पुश्तैनी जमीन हैं। उक्त भूमि मिसल बन्दोबस्त को खाता संख्या 76 खसरा नम्बर 334 से 338, 341 से 345 एवं 347 कुल रकबा 80-19 बीघा में इन्द्राज हैं। खसरा नम्बर 426 व 427 कुल रकबा 9-05 बीघा में भी छोगा बालू पि0 सांवता माली के नाम से इन्द्राज हैं, जो बालू पुत्र सांवता की पुश्तैनी हैं। दस्तावेजात Ex-1 नक्शा ट्रेस, Ex-2 जमाबन्दी सम्वत् 2069-72, जमाबन्दी सम्वत् की पुश्त पर मिसल बन्दोबस्त की रिपोर्टादि सामिल मिसल की गई हैं। बहस वकील वादी सुनी गई तथा उपस्थित वादी पक्षकार को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात आदि का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस के तथ्यों तथा दस्तावेजात में अंकित प्रविष्टियों पर गौर करने पर पाया गया कि विवादित खसरा नम्बर 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344,345, 347 कुल किता-11 कुल रकबा 80-19 बीघा तथा 426, 427 कुल किता-2 कुल रकबा 9-05 बीघा किस्म बा0दो0 भूमि वादिया बेबी के पिता बालू पुत्र सांवता की पैतृक व पुश्तैनी आराजी की भूमि हैं। जिससे वादीया को उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारान् में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गणेशीलाल शंकरलाल पि0 बालू, नर्बदादेवी पुत्री बालूराम के साथ ब0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में वादीया की पैतृक एवं पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 29-13 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 335 रकबा 0-09 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 336 रकबा 1-16 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 337 रकबा 0-03 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 338 रकबा 2-17 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 341 रकबा 4-01 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 342 रकबा 14-12 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 344 रकबा 10-15 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 345 रकबा 5-04 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 347 रकबा 11-08 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-11 कुल रकबा 80-19 बीघा तथा ख0नं0 426 रकबा 5-16 बीघा एवं ख0नं. 427 रकबा 3-09 बीघा कुल किता-2 कुल रकबा 9-05 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि में वादीया को वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान् प्रति0 संख्या 1 से 3 गणेशीलाल शंकरलाल पि0 बालू, नर्बदादेवी पुत्री बालूराम के साथ ब0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की पालना हेतु लिखा जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दपतर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित अटल सेवा केन्द्र शिविर-टूंकड़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

रूईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. बेबी पुत्री बालुराम पत्नि भंवरलाल जाति-माली निवासी-टूंकड़ा, हाल-सिरीयारी तह0-सोजतसिटी, जिला-पाली(राज.)

1. गणेश पुत्र बालु
2. शंकर पुत्र बालु
3. नर्बदादेवी पुत्री बालु
4. छोगा पुत्र सांवत
5. रामलाल पुत्र मांगू
6. ढगलाराम पुत्र मांगू
7. अमराराम पुत्र मांगू
8. बिदामी पत्नि धन्ना
9. हापु पुत्र भूरा
10. भंवरू पुत्र गोपू
11. गुमान पुत्र गोपू
12. कालु पुत्र ओगड़
13. रणजीत पुत्र ओगड़
14. नोजी पुत्री ओगड़
15. पूजा पुत्री ओगड़
16. बालकी पत्नि ओगड़
17. भेरा पुत्र जसा
18. सुगना पुत्र जसा
19. जेठा पुत्र जसा
20. बाबु पुत्र शिवला
21. भंवरू पुत्र शिवला
22. मुकेश पुत्र शिवला
23. पुखराज पुत्र शिवला
24. बहादुर पुत्र शिवला
25. कुक्षुम्बी बेवा शिवला
26. संतोष पुत्री शिवला
27. नैना पुत्र हजारी
28. रतना पुत्र हजारी
29. शंकर पुत्र हजारी
30. प्रभु पुत्र पन्ना
31. भेरा पुत्र भबूत
32. चन्द्रीया पुत्र भबूत
33. पीरू पुत्र भबूत
34. हेतूराम पुत्र भेराराम
35. गुलाबराम पुत्र भेराराम
36. धर्माराम पुत्र भेराराम
37. रामलाल पुत्र भेराराम
38. फेफली पत्नि भेराराम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

39. लाबु पुत्र भारमल
40. काना पुत्र भारमल
41. हरदेव पुत्र उदा
42. हेमा पुत्र उदा
43. बिदामी पत्नि आदू
44. शम्भूराम पुत्र आदू
45. गुमानराम पुत्र आदू
46. सांवरराम पुत्र आदू
47. लिछमण पुत्र छीतर
48. छैला पुत्र छीतर
49. कालू पुत्र छीतर
50. भोली पत्नि छीतर
51. जीवण पुत्र लादू
52. नरसिंह पुत्र लादू
53. हरीराम पुत्र गोपू
54. ओमप्रकाश पुत्र गोपू
55. गोदूराम पुत्र गोपू
56. कालूराम पुत्र गोपू
57. कंवरलाल पुत्र भंवरलाल
58. किशनलाल पुत्र भंवरलाल
59. शारदा पुत्री भंवरलाल
60. दुर्गा पुत्री भंवरलाल
61. राधा पत्नि भंवरलाल
62. संतोष पत्नि मिश्रीलाल
63. रेखा पुत्री मिश्रीलाल
64. तुलसीराम पुत्र छगना
65. हुक्मीचन्द पुत्र छगना
66. बालुराम पुत्र छगना
67. अमरा पुत्र धन्ना
68. चेना पुत्र मंगला
69. कालु पुत्र मंगला
70. भंवरू पुत्र चन्द्रीया
71. मोहन पुत्र चन्द्रीया
72. सांवतराम पुत्र तेजाराम
73. रूपली बेवा चन्द्रीया
जातियान–माली,निवासी–दूंकड़ा
तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)
74. तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार
75. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

मु0न0 :रा0वा0स0:249/2014

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण में वादीया की पैतृक एवं पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 29–13 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 335 रकबा 0–09 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 336 रकबा 1–16 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 337 रकबा 0–03 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 338 रकबा 2–17 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 341 रकबा 4–01 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 342 रकबा 14–12 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 344 रकबा 10–15 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 345 रकबा 5–04 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 347 रकबा 11–08 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता–11 कुल रकबा 80–19 बीघा तथा ख0नं0 426 रकबा 5–16 बीघा एवं ख0नं. 427 रकबा 3–09 बीघा कुल किता–2 कुल रकबा 9–05 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि में वादीया को वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान् प्रति0 संख्या 1 से 3 गणेशीलाल शंकरलाल पि0 बालू, नर्बदादेवी पुत्री बालूराम के साथ ब0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की पालना हेतु लिखा जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....–....मुबलिक.....–....बाबत.....–....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 19/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	2=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	9=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजानः–	14=00	मिजानः–	Nil

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner